

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग-2
संख्या : 391/XIII(2)/2018-28(01)/2014
देहरादून : दिनांक : 25 जून, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 9, वर्ष 2011) की धारा 3 सपठित धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन की अधिसूचना संख्या-889/ XIII(2)/28(01)/2014 दिनांक 21 सितम्बर, 2015 द्वारा अनुसूची में शीर्षक (क) के क्रमांक 8 विविध की मद संख्या 21 में सम्मिलित मैथा प्रजाति के सभी प्रकार के हर्ब मिन्ट, उनके तेल और तेलों से निकाले गये ठोस पदार्थ को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों की श्रेणी से निकालते हुए मद संख्या 21 को विलोपित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(डी. सेंथिल पाण्डियन)
सचिव

संख्या : 391 /XIII(2)/2018-28(01)/2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रूडकी (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या : 391 (1)/XIII-II/2018-28(01)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा. कृषि मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)।
9. समस्त सचिव/अध्यक्ष, कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of Notification No. ~~391~~/XIII-II/2018-28(01)/2014 dated ~~25~~ June, 2018 for the general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
AGRICULTURE AND MARKETING SECTION-2
NO: ~~391~~/XIII-(2)/2018-28(01)/2014
DEHRADUN: DATED 25 JUNE, 2018

NOTIFICATION

In Exercise of the powers conferred by Section 3 read with clause (a) of subsection (1) of section 12 of the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2011 (Act No 09 of 2011), the Governor is pleased to omit item no 21 by excluding all type of Herb Mint, the solids derived from the oil and oils of mentha spices included in item no 21 of serial no. 8 miscellaneous of head (a) in the schedule vide notification no 889/XIII-(2)/2014 dated 21st September 2015 from the category of agriculture products.



(D.Senthil Pandiyan)
Secretary